समाहरणालय, मुंगेर

(जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर)

आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5 प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/43 (आ0)/पं0रा0, दिनांकः-12.10.2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मांग संख्या-16 एंव विपत्र कोड-16- 2015001090002 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष -00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप शीर्ष-0002-जिला परिषदों /पंचायत समितियों /ग्राम पंचायत का चुनाव विषय शीर्ष -0002.13.01-कार्यालय व्यय इकाई मद में पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यो का बकाया भुगतान हेतु कुल मो0-7,10,002/- (सात लाख. दस हजार दो) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त प्राप्त आवंटन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को अधोलिखित रूप से उपावंटित किया जाता हैं :-

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	-0002.13.01-कार्यालय व्यय इकाई
1	2	3
1.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।	7,10,002.00
	कुल योग :-	7,10,002.00 (सात लाख दस हजार दो) रूपये मात्र

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, 383/दिनांक-20.03.2020 के निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय ।

उपावंटित राशि का भुगतान वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए लंबित विपत्रों की सुक्ष्मता/गहनता के साथ जॉच कराकर ही बकाये का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें, यदि कोई छदमूपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पुरी जिम्मेवारी निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड ,विपत्र कोड एंव मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें । ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आंवटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय । तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

उपावंटित राशि की निकासी नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

उपावंटित राशि की निकासी दिनांक-28.02.2021 तक निश्चित रूप से करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत) मुंगेर।

ज्ञापांक......122....../पं0 दिनांक...21/01/2021

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस उपावंटन आदेश को मुंगेर के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :- श्री जगनाराण राय, लिपिक (मेकर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिंया जाता है कि सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से राशि का उपावंटन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 5 प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/43 (आ0)/पं0रा0, दिनांकः-12.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत) मुंगेर।